महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 49वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 49वीं बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 को दोपहर 1.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. कैलाश सोडाणी — अध्यक्ष
   कुलपति,
   महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।

2. प्रो. एस. पालरिया, — सदस्य
   संकायाध्यक्ष, कॉलेज एवं
   विभागाध्यक्ष, रिमोट सेंसिंग एण्ड जियोइन्फोरमेटिक्स विभाग,
   म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।

3. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, — सदस्य
   विभागाध्यक्ष-जनसंख्या अध्ययन विभाग,
   म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।

4. प्रो. मनोज कुमार, — सदस्य
   संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय एवं
   विभागाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन विभाग,
   म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।

5. प्रो. जी.के.कोहली, — सदस्य
   संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन एवं
   विभागाध्यक्ष-खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग,
   म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।

6. प्रो. एस.एन. सिंह, — सदस्य
   विभागाध्यक्ष, राजनीति शास्त्र विभाग,
   म.द.स. विश्वविद्यालय,अजमेर ।

7. प्रो. बी.पी. सारस्वत, — सदस्य
   संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय एवं
   विभागाध्यक्ष-वाणिज्य विभाग,
   म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।

8. प्रो. वी. के. ककड़िया, — सदस्य
   संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय एवं प्राचार्य
   क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर ।

9. डॉ. प्रवीण माथुर — सदस्य
संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण,
म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर ।

10. प्रो. जी. सोरल, — सदस्य
लेखाशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग,
विश्वविद्यालय वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन महाविद्यालय,
उदयपुर ।

11. डॉ. कृष्णाराम, — सदस्य
संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान एवं प्राचार्य,
एम.एल.वी. राजकीय महाविद्यालय,
भीलवाड़ा ।

12. श्री दीपक राज महरोत्रा, — सदस्य
संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय एवं प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।

13. श्री सुरेश वैष्णव, — सदस्य
प्राचार्य,
गायत्री शक्ति पीढ़, कन्या महाविद्यालय, पुष्कर (अजमेर)

14. श्री हरकिशन रामचंदानी, — सदस्य
प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, रायपुर (भीलवाड़ा)

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेः-

15. अध्यक्ष, — सदस्य
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
राजस्थान, अजमेर ।

16. आयुक्त, — सदस्य
महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

17. श्रीमती दमयन्ती गुप्ता, — सदस्य
संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।

18. प्रो. नरेन्द्र अवस्थी — सदस्य
संकायाध्यक्ष- कला, शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।

19. श्री हनुमाना राम ईसरान, — सदस्य
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय,
डीड़वाना (नागौर)

सर्व प्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया साथ ही विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को ऊंचाईयों पर ले जाने हेतु सभी सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा की । इसके पश्चात् विद्या परिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया । तत्पश्चात कार्यसूची पर विचार-विमर्श आरम्भ हुआ एवं निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-

मद	विवरण		अनुभाग/ विभाग
मद सं 1	विद्या परिषद् की दिनांक 26.12.13 को सम्पन्न हुई 48वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (48) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2014/1110-25 दिनांक 25.01.14 को प्रेषित की गई ।		**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न प्रेक्षण के साथ की गयी :-** **(क) <u>निर्णय संख्या 6 को निम्नानुसार लिखा हुआ माना जाए</u>ः** **अध्ययन बोर्ड की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 30 सितम्बर के मध्य पाठ्यक्रमों की समीक्षा, संशोधन एवं अद्यतन कर लिया जाए । आगामी सत्र 2015-16 के लिए अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की बैठकें माह फरवरी, 2015 में कर ली जाय ।**		
मद सं 2	प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर के सत्र 2014-15 से B.A. B.Ed. 4-Year Integrated Course (an innovative course) प्रारम्भ करने के संबंध में प्रेषित पत्र क्रमांक F.9 B-1/ Admission/2014-15/3169 Dated 03.03.14 पर विचार करना **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-1)** व शिक्षा पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 24.03.14 पर विचार करना । **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-1-अ)**		**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**अनुमोदित किया गया ।**		
मद सं 3	प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पाठ्यक्रम जो कि विगत वर्षो से "w.e.f." मुद्रित है । अतः इन पाठ्यक्रमों को यथावत ही वर्ष 2014-15 की परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.mdsuajmer.ac.in पर अपलोड करने की स्वीकृति माननीय कुलपति महोदय ने अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत प्रदान कीः-		**शैक्षणिक-I**

S.No.	Name of Publication
1	B.A. Part-I
2	B.A. Part-II
3	B.A. Part-III
4	B.A. (Hons.) Part-I
5	B.A. (Hons.) Part-II
6	B.A. (Hons.) Part- III
7	B.Sc. Part- I
8	B.Sc. Part- II
9	B.Sc. Part- III
10	B.Sc. (Home Science) Part- I
11	B.Sc. (Home Science) Part- II
12	B.Sc. (Home Science) Part- III
13	B.Sc. (Hons) Part-I, II & III
14	B.Sc. (Bio-Technology) Part- I, II & III
15	B.Sc. (Information Technology) Part-I, II, III
16	B.Sc. (Computer Science) Part- I, II & III
17	B.Com. Part-I
18	B.Com. Part-II
19	B.Com. Part-III
20	B.Com. (Hons) Part-I, II & III
21	BBA (E&FBM) Part- I, II & III
22	BBA- Part- I, II & III (Annual Scheme)
23	BCA- Part- I, II & III
24	B.Sc.(Naturopathy & Yogic Science) Part- I, II & III
25	B.P.Ed. One Year
26	B.P.E. Part- I, II & III
27	Two Year B.Ed. Secondary
28	B.Sc. B.Ed. Part-I, II, III, IV
29	B.Ed.
30	L.L.B. Part- I, II & III
31	M.Com. - ABST (P&F)
32	M.Com.(Business Administration) (P&F)
33	M.Com. – EA & FM (P&F)
34	M.A- Hindi (P&F)
35	M.A- English (P&F)
36	M.A- Sanskrit (P&F)
37	M.A-Sindhi (P&F)
38	M.A-Urdu (P&F)
39	M.A-Rajasthani (P&F)
40	M.A-Philosophy(P&F)
41	M.A-Political Science(P&F)
42	M.A- Public Administration (P&F)
43	M.A- Sociology(P&F)
44	M.A-Economics(P&F)
45	M.A- History(P&F)

		46	M.A-/M.Sc. Geography (P&F)			
		47	M.A- Population Studies (P&F)			
		48	M.A- Indian Music (P&F)			
		49	M.A- Drawing & Painting (P&F)			
		50	M.A. Vedic Vangmaya (P&F)			
		51	M.Sc. Physics (P&F)			
		52	M.Sc. Chemistry(P&F)			
		53	M.Sc.- Mathematics(P&F)			
		54	M.Sc.- Botany(P&F)			
		55	M.Sc. Zoology(P&F)			
		56	M.Sc.- Earth Science & Geology(P&F)			
		57	M.Sc.- Computer Science (Annual Scheme)			
		58	M.Sc.- Food Science & Nutrition (P&F)			
		59	M.Sc.-Environmental Science (P&F)			
		60	M.Sc.- Bio-technology(P&F)			
		61	M.Sc.- Remote Sensing & Geo-Informatics (P&F)			
		62	M.Sc.- Applied Chemistry (P&F)			
		63	M.Sc. Information Technology (Annual Scheme)			
		64	M.Sc. Computer Science (Semester I, II, III & IV)			
		65	MCA (Master of Computer Application) Semester I, II, III,IV, V & VI			
		66	MCA (L.E.) Only 2011-12			
		67	L.L.M. Part-I, II			
		68	MBA (D.S.) Part-I & II			
		69	MBA (EP) Part-I & II, III			
		70	MBA Part-I ,II (RMAT)			
		71	MBA (Business Economics) Semester-I, II,III&IV			
		72	M.Ed. (Elementary)			
		73	M.Ed.			
		74	Master of Journalism (Mass Communication) w.e.f. Semester			
		75	Master of Social works (Semester Scheme)			
		76	M.Phil (EAFM)			
		77	M.Phil (ABST)			
		78	M.Phil (Bus. Administration)			
		79	M.Phil Hindi			
		80	M.Phil Sanskrit			
		81	M.Phil English			
		82	M.Phil History			
		83	M.Phil Economics			
		84	M.Phil Political Science			
		85	M.Phil Geography			
		86	M.Phil Public Administration			
		87	M.Phil Sociology			
		88	M.Phil Botany			
		89	M.Phil Mathematics			

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>90</td><td>M.Phil Physics</td></tr>
<tr><td>91</td><td>M.Phil Chemistry</td></tr>
<tr><td>92</td><td>M.Phil Zoology</td></tr>
<tr><td>93</td><td>M.Phil Environmental Science</td></tr>
<tr><td>94</td><td>Diploma Certificate in Steno Typing</td></tr>
<tr><td>95</td><td>P.G. Diploma in Media Management</td></tr>
<tr><td>96</td><td>Diploma in Disaster management</td></tr>
<tr><td>97</td><td>Diploma in Labour Law, Labour Welfare & personal Management</td></tr>
<tr><td>98</td><td>DYEHS (Dip. In Yoga Edu. & Human Sc.)</td></tr>
<tr><td>99</td><td>YICC</td></tr>
<tr><td>100</td><td>P.G. Diploma in Salesmanship & Marketing</td></tr>
<tr><td>101</td><td>P.G. Diploma in Criminology & Criminal Administration</td></tr>
<tr><td>102</td><td>P.G. Diploma in Cost & Works Accounting</td></tr>
<tr><td>103</td><td>P.G. Diploma in Computer Application (Annual Scheme)</td></tr>
<tr><td>104</td><td>Advance Post P.G. Diploma in Food & Health Security</td></tr>
<tr><td>105</td><td>Soil & water Conservation Tech.</td></tr>
<tr><td>106</td><td>PG Diploma in Textile Chemistry</td></tr>
<tr><td>107</td><td>PG Diploma in Industrial Safety, Health & Environment</td></tr>
<tr><td>108</td><td>School of Vedic Science Master Yoga Studies & Therapy Management</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>अनुमोदित किया गया ।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं. 4</td><td>माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों की पुष्टि करनाः-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(1) प्रतिवेदन है कि सूक्ष्मजीव विज्ञान पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 15.07.13 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना (कार्य सूची का परिशिष्ठ-2) ।</td><td></td><td>शैक्षणिक–I</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>पुष्टि की गयी ।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(2) प्रतिवेदन है कि सत्र 2014-15 से बी.ए., बी.एड. 4 वर्षीय (इंटीग्रेटेड) पाठ्यक्रम हेतु गठित सम्बद्धता शुल्क निर्धारण समिति के कार्यवृत्त को माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 29.05.14 को अनुमोदन प्रदान किया गया । उक्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बद्धता शुल्क रू0 40,000/- एवं निरीक्षण शुल्क रू0 10,000/- निर्धारित किया जाकर समस्त बी.एड. महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय पत्रांक 10172-253 दिनांक</td><td></td><td>शैक्षणिक–II</td></tr>
</table>

	05.06.14 जारी किया गया **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-3)** । सत्र 2014-15 से बी.एड. स्पेशल एज्यूकेशन (एम.आर.) पाठ्यक्रम हेतु गठित सम्बद्धता शुल्क निर्धारण समिति के कार्यवृत्त को माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 24.06.14 को अनुमोदन प्रदान किया गया । यउक्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बद्धता शुल्क राशि रू0 50,000/- एवं निरीक्षण शुल्क राशि रू0 10,000/- निर्धारित किया जाकर समस्त बी.एड़. महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय पत्रांक 12190-271 दिनांक 01.07.14 जारी किया गया **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-4)** ।		
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**		
	(3) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश 124.13 (iv) के प्रावधानानुसार शोधार्थी कृष्ण गोपाल सिंह शेखावत पंजीकरण क्रमांक 2273/09 को अस्थाई प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति प्रदान करने के माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 20.08.2014 प्रतिवेदित है ।		**शोध**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**		
	(4) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की वर्ष 2010 से 2013 में आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124 में प्रावधानान्तर्गत दिनांक 03.07.10 से माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से शोधोपाधि हेतु शोधार्थियों को प्रदान किये जाने वाले अनन्तिम प्रमाण-पत्रों (Provisional Certificate) धारियों को उनको संबंधित संकाय और शीर्षक के अनुसार उपाधि धारण करने की स्वीकृति प्रदान करने की तिथि (ग्रेस पास) माननीय कुलपति महोदय द्वारा 31.12.2013 निर्धारित की है ।		**उपाधि**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**		
	(5) प्रतिवेदन है कि शोधार्थी कैलाश चन्द्र वैष्णव का स्थाई पंजीकरण उसकी शोध पंजीयन समिति की बैठक दिनांक 18.05.2009 से लगभग 4 वर्ष बाद 09.05.13 को होने के कारण उसके पंजीयन की दिनांक अध्यादेश 124.8/IV के अनुसार शोध पंजीयन समिति की बैठक की दिनांक रखना संभव नहीं था । अतः प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखकर माननीय कुलपति महोदय ने शोधार्थी के स्थाई पंजीयन की दिनांक 09.05.13 को ही उसके पंजीयन की दिनांक मान्य करने के आदेश प्रदान किये ।		**शोध**

निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**		
	(6) प्रतिवेदन है कि निम्नांकित प्रकरण वर्ष 2008-09 से प्रभावशील नियमों में अध्यादेश 124.4 के प्रावधानानुसार स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 09.04.14 के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये जिसमें डॉ. नीलिमा भार्गव, व्याख्याता इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर जिनका शोध पर्यवेक्षक का पंजीयन दिनांक 28.01.14 को निरस्त हो चुका था । शोध पर्यवेक्षक के पंजीयन निरस्त होने पर शोध पर्यवेक्षक को बदलने का प्रावधान सत्र 2010-11 से प्रभावशील हुआ था । उनके शोध पर्यवेक्षण मे पंजीकृत शोधार्थी इस प्रावधान के पूर्व के थे जिसमें शोध पर्यवेक्षक परिवर्तन का प्रावधान नहीं थाः- 1. विशाल तिवारी, पंजीकरण दिनांक 03.06.09 तथा 02.06.14 को पांच वर्ष पूर्ण हो रहे थे । 2. दीप शिखा लवानिया, पंजीकरण दिनांक 31.07.08 तथा 30.07.14 तक अवधि विस्तार के 06 वर्ष पूर्ण हो रहे थे । समिति ने प्रकरण पर विचार कर निम्नांकित अनुशंषा कीः- प्रकरण पर विस्तार से विचार-विमर्श बाद यह तथ्य उजागर होता है कि प्रकरण में शोधार्थियों की ओर से किसी प्रकार का कोई निवेदन या कार्यवाही नहीं की गई है । उक्त परिस्थिति कार्यालयी प्रक्रिया से उत्पन्न हुई है जिसमें शोधार्थियों का कोई दोष नहीं है परन्तु हानि केवल शोधार्थियों की हो रही है । अतः छात्र हित को ध्यान में रखते हुए समिति उक्त दोनों शोधार्थियों को अन्य शोध पर्यवेक्षक की सहमति के आधार पर शोध पर्यवेक्षक बदले जाने की अनुशंषा करती है । माननीय के अनुमोद बाद प्रकरण विद्या परिषद् की आगामी बैठक में सूचनार्थ रखे जाने की भी अनुशंषा की । समिति की अनुशंषा का अनुमोदन माननीय कुलपति महोदय ने दिनांक 12.04.14 को कर दिया है जिसकी अनुपालना में निम्नांकित कार्यवाही की गईः- 1. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक एफ 15 (5048/08) इतिहास/शोध/मदसविवि/72180 दिनांक 04.07.14 द्वारा मानक जैन, व्याख्याता-इतिहास, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़ जिला-अजमेर को शोधार्थी दीपशिखा लवानिया के शोध पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है । 2. विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक एफ 15 (5106/09) इतिहास/शोध/मदसविवि/73180 दिनांक 19.07.14 द्वारा डॉ. एस.डी. मिश्रा, व्याख्याता-इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को शोधार्थी विशाल तिवारी के शोध पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ।		**शोध**

निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**		
	(7) प्रतिवेदन है कि सत्र 2014-15 से विभिन्न विभागों में निम्नलिखित कोर्सो को चालू करने की माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी, माननीय के उक्त आदेशों की पुष्टि करना:-		**शैक्षणिक-I**

S.No.	Name of Course	Faculty
1	Master of Library & Information Science	Education
2	P.G. Diploma Lab Tech. & Instrumentation	Science
3	M.B.A. Service Management	Management
4	M.Com ABST	Commerce
5	M.Com Business Administration	Commerce
6	L.L.M.	Law
7	B.Ed. (One year)	Education
8	Master in Yoga Studies and Therapy Management	Vedic Studies
9	M.Tech (Computer Science)	Science

निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**		
	(8) प्रतिवेदन है कि सत्र 2014-15 से निम्नलिखित कोर्सो के पाठ्यक्रम लागू किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा आदेश प्रदान किए गए **(परिशिष्ठ 7 एवं 8):-** 1- M.Tech (Computer Science) Semester I & II 2- P.G. Diploma Lab Tech. & Instrumentation		**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**		
	(9) <u>प्रतिवेदन है कि</u> लाइब्रेरी एण्ड इन्फोरमेशन साईंस पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 06.08.2014 के कार्यवृत्त को माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 11.11.2014 को अनुमोदन प्रदान किया गया । माननीय के उक्त आदेशों की पुष्टि करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-9)**		
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**		
	(10) <u>प्रतिवेदन है कि</u> विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम की धारा 2 (1) 2 (2) के अन्तर्गत, विद्या परिषद् की अनुशंषा 21 दिनांक 16.05.08 सपठित प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय संख्या 03 दिनांक 11.06.08 के अनुसार		**शैक्षणिक-I**

	माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विज्ञान संकाय एवं समाज विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति का कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष-प्रथम/मदसविवि/2014/25104-428 दिनांक 03.11.14 प्रसारित किया गया । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- 10)**		
निर्णय	**पुष्टि की गयी । इस संबंध में प्रो. एस. पालरिया द्वारा विमति दर्ज करायी गयी ।**		
	(11) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-15 (3037/2000) इतिहास/शोध/ मदसविवि/74453 दिनांक 7/8/2014 के तहत शोधार्थी श्री पीयूषकांत, पंजीयन क्रमांक 3037/2000, विषय इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ के प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार कर माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार निम्नलिखित कार्यवाही किये जाने के आदेश जारी किए गए :- 1. शोधार्थी के प्रस्तुत शोध प्रबंध के मूल्यांकन हेतु आंतरिक परीक्षक के रूप में प्रो. जी.एस. व्यास, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, इतिहास, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर को नियुक्त किया जाता है। 2. शोधार्थी के आरम्भिक शोध पर्यवेक्षक डॉ. इंदू आसोपा, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा दिनांक 25.9.2006 को प्रस्तुत पैनल में से एक परीक्षक को शोध प्रबंध के मूल्यांकन हेतु परीक्षक नियुक्त किया जाता है। 3. शोधार्थी का प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों के साथ विद्या परिषद को प्रतिवेदित किया जायेगा। शोधार्थी पीयूष कांत के प्रकरण के तथ्य :- 1. डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर में इतिहास विषय की शोध निर्देशिका डॉ. इन्दू आसोपा ने अभ्यर्थी श्री पीयूष कान्त के आवेदन पर उस अभ्यर्थी का शोध पर्यवेक्षक बनने की स्वीकृति प्रदान की और **"राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की शिक्षा के बदलते आयाम : एक ऐतिहासिक अध्ययन (भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में तथा राजस्थान के एकीकरण से वर्तमान तक)"** शीर्षक पर शोध प्रारूप तैयार कर दिनांक 22.2.2000 को प्रस्तुत किया। 2. दिनांक 16.10.2000 के पत्र द्वारा उक्त शोध पर्यवेक्षक के निर्देशन में अभ्यर्थी श्री पीयूष कांत का उसके शोध प्रारूप के शीर्षक पर शोध कार्य करने की **अस्थाई रूप से अनुमति प्रदान** की और		**शोध**

उसके महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचित किया गया कि वे शोधार्थी से यह सूचना देने को कहें कि उसकी शोध कार्य आरम्भ करने की दिनांक क्या मानी जावे जो वस्तुतः इस शोध हेतु किये गये आवेदन की दिनांक और 16.10.2000 के बीच की अवधि होनी चाहिए। अभ्यर्थी की पत्रावली पर ऐसा कोई पत्र उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि शोधार्थी ने कौनसी दिनांक सूचित की है। इसलिए सम्भवतः शोध आरम्भ की दिनांक 16.10.2000 ही उपयोग में ली गई है।

3. दिनांक 16.10.2000 के अनुमति पत्र की प्रति भी शोधार्थी एवं शोध पर्यवेक्षक को प्रेषित की गई थी जिसमें शोध पर्यवेक्षक से यह अपेक्षा की गई थी कि वह हर 6 माह में शोधार्थी के कार्य का प्रतिवेदन भिजवायें किन्तु इस निर्देश की पूर्ति शोध पर्यवेक्षक द्वारा कभी की हो, यह अभ्यर्थी की पत्रावली से प्रकट नहीं होता और ना ही यह प्रकट होता है कि इन निर्देशों की पालना नहीं करने पर शोध अनुभाग ने शोध पर्यवेक्षक के प्रति क्या कार्यवाही की ?

4. तत्समय प्रभावी नियमानुसार शोधार्थी को न्यूनतम 2 वर्ष में एवं अधिकतम् 5 वर्ष में शोध कार्य पूर्ण करना था। अतः शोधार्थी का शोध कार्य 15.10.2005 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था। अपरिहार्य परिस्थिति में एक वर्ष की वृद्धि की अनुमति रिसर्च बोर्ड द्वारा दी जा सकती थी और वृद्धि का समय पूरा हो जाने पर शोधार्थी का पंजीयन स्वतः निरस्त हो जाने का प्रावधान था। ये शर्तें भी शोधार्थी और शोध पर्यवेक्षक को पत्र दिनांक 16.10.2000 द्वारा सूचित कर दी गई थीं।

5. दिनांक 16.10.2000 से लेकर 28.7.05 तक (लगभग 4 वर्ष 9 माह) ना तो शोधार्थी ने कोई पत्राचार किया और ना ही शोध पर्यवेक्षक ने प्रति 6 माह के हिसाब से शोधार्थी के कार्य का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. दिनांक 28.7.2005 के पृष्ठांकन द्वारा प्राचार्य, डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर ने शोधार्थी के पत्र को अग्रेषित करते हुए सूचित किया कि दिनांक 16.7.2000 से 21.10.2002 तक डॉ. इंदू आसोपा, शोध पर्यवेक्षक, राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़ (स्नातक स्तर) में पद स्थापित एवं कार्यरत थी **जिसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि इस शोधार्थी का उनके अधीन जिस समय पंजीयन हुआ उस समय वे शोध कार्य कराने की पात्र नहीं थी ओर लगभग ढ़ाई वर्ष तक वह शोध पर्यवेक्षण की पात्र नहीं थी।**

7. यदि दिनांक 16.10.2000 के पत्र के प्राप्त होते ही डॉ. इन्दू आसोप अथवा शोधार्थी इस तथ्य को अवगत कराते तो शोध

अनुभाग के पास यह अवसर होता कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर सकता था। **शोधार्थी ने और शोध पर्यवेक्षक दोनों ने जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया है।**

8. दिनांक 28.7.05 का पत्र प्राप्त होने के बाद शोध अनुभाग ने पत्र क्रमांक 5492 दिनांक 22.8.2005 द्वारा अभ्यर्थी एवं शोध पर्यवेक्षक दोनों को यह सूचित किया गया कि अपने पंजीयन की दिनांक से अब तक की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट वर्षवार भिजवायें।

9. शोधार्थी से दिनांक 31.8.05 को प्राप्त पत्र के साथ सारे वार्षिक प्रतिवेदन अपने शोध पर्यवेक्षक के माध्यम से एक साथ भिजवाये जिस पर प्राचार्य की जगह किसी अन्य के हस्ताक्षर अंकित थे और इन प्रतिवेदनों में यह नहीं बताया गया कि शोध कार्य पूर्ण होने में अनुमानित समय कितना लगेगा। उल्लेखनीय है कि शोध पर्यवेक्षिका ने दिनांक 16.7.2000 से 21.10.2002 की अवधि में भी उक्त अभ्यर्थी के शोध कार्य का प्रतिवेदन भिजवाया जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है।

10. अभिलेख से यह प्रकट होता है कि उपर्युक्त अनियमितताओं पर शोध अनुभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया।

11. दिनांक 24.9.2005 के पत्र में अभ्यर्थी ने शोध कार्य की समय अविध बढ़ाने की अनुमति का निवेदन किया । यह पत्र अभ्यर्थी के शोध पर्यवेक्षक से अग्रेषित अथवा अनुशंसित नहीं था जो नियमानुसार होना चाहिए था किन्तु इस तथ्य की अनदेखी करते हुए शोध अनुभाग ने प्रकरण अवधि बढ़ाये जाने हेतु विचार करने के लिए स्टेण्डिंग कमेटी में रखने के आदेश माननीय कुलपति से प्राप्त किये और प्रकरण को दिनांक 18.11.2005 को स्टेण्डिंग कमेटी में रख दिया । स्टेण्डिंग कमेटी ने एक वर्ष की अवधि बढ़ाने की अनुशंसा की। इस आधार पर शोधार्थी को अपना शोध प्रबंध दिनांक 14.10.2006 तक जमा कराना आवश्यक था।

12. शोध पर्यवेक्षक ने दिनांक 25.9.2006 के पत्र द्वारा उक्त शोधार्थी के शोध प्रबंध की एब्स्ट्रेक्ट और परीक्षकों की तालिका प्रस्तुत की। शोधार्थी ने दिनांक 7.10.2006 को शोध प्रबंध प्रस्तुति का शुल्क जमा कराते हुए शोध प्रबंध प्रस्तुत किया ।

13. शोध प्रबंध के परीक्षण हेतु दो बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति दिनांक 10.10.2006 द्वारा हुई । शोध प्रबंध का परीक्षण करने हेतु परीक्षकों को दिनांक 26.4.07 को पत्र भेजे गये जिनमें से एक परीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट नहीं भेजने के कारण उनके स्थान पर दूसरे परीक्षक की नियुक्ति की गई। दूसरे परीक्षक ने भी शोध ग्रंथ

बिना जांच किये पुनः लौटा दिया अतः उनके स्थान पर पुनः परीक्षक नियुक्त करने का प्रकरण कुलपति महोदय को प्रस्तुत किया गया। चूंकि मूल पैनल में 8 ही नाम थे जिसमें से 4 परीक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी। अतः माननीय कुलपति महोदय ने पुनः पैनल प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये जिसकी अनुपालना में शोध पर्यवेक्षक को दिनांक 22.4.2009 को सूचित कर दिया गया। जिसके क्रम में शोध पर्यवेक्षक ने दिनांक 08.3.2010 को केवल 6 नाम का पैनल प्रस्तुत किया जिसे अपर्याप्त मानते हुए उन्हे दिनांक 18.3.2010 को निवेदन किया गया कि वे 15 बाह्य परीक्षकों का संशोधित पैनल भिजवायें। शोध पर्यवेक्षक ने इन निर्देशों की अनुपालना नहीं की तो माननीय के आदेशानुसार शोध पर्यवेक्षक को सूचित किया गया कि वे नियमानुसार विशेषज्ञों का पैनल प्रस्तुत करें अन्यथा शोध पर्यवेक्षक से डिबार करने और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु कमीश्नर, महाविद्यालय शिक्षा को भेजा जावेगा ।

14. उक्त पत्र के उत्तर में शोध पर्यवेक्षक का बिना दिनांक अंकित किये स्पीड पोस्ट से भेजा गया पत्र दिनांक 17.7.2011 को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने न केवल शोधार्थी के व्यवहार के के संबंध में टिप्पणी करते हुए शोध अनुभाग की शोधार्थी से संलग्नता दर्शाने और उसके दबाव में काम करने के आरोप लगाये।

15. दिनांक 29.8.2011 को कुलपति महोदय ने आदेश प्रदान किये की शोध पर्यवेक्षक डॉ. इंदु आसोपा को पंजीकृत शोध पर्यवेक्षक की तालिका से हटा दें तथा शोधार्थी को सूचित करें कि वह नया गाईड का नाम प्रस्तावित करें।

16. उक्त आदेशों की अनुपालना में शोधार्थी को सूचित किया गया। शोधार्थी ने दिनांक 23.9.2011 के पत्र पत्र द्वारा राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ में कार्यरत शोध पर्यवेक्षक डॉ. मानक जैन की सहमति प्रस्तुत की डॉ. जैन के पास एक स्थान रिक्त था अतः उन्हें शोधार्थी का नया शोध पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया एवं बाह्य परीक्षकों की सूची भेजे जाने का निवेदन किया। डॉ. जैन ने जब बाह्य परीक्षकों की सूची प्रस्तुत नहीं की तो उन्हें नियमानुसार निदेशों की अनुपालना करने हेतु सूचित किया एवं उनके अनुदत्तरदायीपूर्ण आचारण के लिए स्पष्टीकरण दिये जाने हेतु सूचित किया गया । डॉ जैन ने दिनांक 10.3.2012 द्वारा सूचित किया किया कि शोधार्थी पीयूष कांत द्वारा जमा कराये गये शोध प्रबंध के संबंध में कुछ सुझाव हैः-

	1. शोध ग्रंथ चूंकि 7.10.2006 को जमा करावाया गया था औरा अब 2012 तक विषय से संबंधित अनेक समसामयिक परिवर्तन आ चुके होंगे अतः शोध की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन करवाना उचित होगा । 2. शोध ग्रंथ के कवर पेज पर पूर्व शोध निर्देशिका के नाम के स्थान पर मेरा नाम लिख जावे। 3. पूर्व शोध निर्देशिका द्वारा दिये गये सुपरवाईजर सर्टिफिकेट के स्थान पर मेरा दिया हुआ सर्टिफिकेट लगवाये जाने की व्यवस्था होवे। 4. शोध ग्रंथ में उपरोक्त परिवर्तन के बाद ग्रंथ को पुनः जमा किया जावे कि सम्पूर्ण प्रक्रिया फिर से नये सिरे से प्रारम्भ हो सके। 5. विश्वविद्यालय मेरे पत्र दिनांक 5.1.2012 के साथ पूर्व में ही 15 बाह्य परीक्षकों का पैनल प्रेषित किया जा चुका है। चूंकि पूर्व शोध पर्यवेक्षक डॉ. इंदु आसोपा की आंतरिक परीक्षक के रूप में उक्त शोध ग्रंथ की जांच रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी थी तथा एक अन्य बाह्य परीक्षक की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी थी ऐसी परिस्थिति में नये शोध पर्यवेक्षक डॉ. जैन के सुझावों को मानना उचित नहीं था अतः डॉ. जैन को पुनः निर्देशित कार्यवाही करने हेतु कहा गया जिसका उन्होनें कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। उक्त समस्त पहलुओं पर विचार करके माननीय कुलपति महोदय ने शोधार्थी के शोधग्रंथ के मूल्यांकन हेतु प्रो. जी.एस. व्यास को आंतरिक परीक्षक के रूप में नियुक्त किया तथा शोधार्थी के आरम्भिक शोध पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 25.9.2006 को प्रस्तुत किये गये पैनल में से एक परीक्षक को बाह्य परीक्षक के रूप में नियुक्त किया। तदनुसार जारी विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-15(3037/2000) इतिहास/शोध/मदसविवि/ 74453 दिनांक 7/8/2014 प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- 11)**		
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**		

	(12) प्रतिवेदन है कि यू.जी.सी. के पत्र क्रमांक D.O. No.I-38/97 (CPP-II) Dated 06-06-14 के संदर्भ में विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों की उपाधियों में वर्ष 2014 की परीक्षाओं से पिता का नाम व माता का नाम हिन्दी व अंग्रेजी में जोड़ा जायेगा । इस समय उपाधियों के जिन 18 प्रकार के फॉर्मेटों को विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की उपाधियों को बनवाने में उपयोग में लिया जा रहा है उनके 18 प्रकार के नमूनों में वर्ष 2014 की समस्त उपाधियों के लिये छात्र के पिता का नाम व माता का नाम जोड़कर माननीय कुलपति महोदय से दिनांक 13.12.14 को अनुमोदित करवा दिये गये है जिनकी पुष्टि विद्या परिषद् की बैठक में करवाया जाना प्रस्तावित है ।		**उपाधि**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**		
मद सं. 5	विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांकः 16266 दिनांक 5.10.2006 के द्वारा अधिसूचित एवं प्रवृत्त अध्यादेशों के अध्यादेश 50 के तहत् सम्बद्धता शुल्क सम्बन्धी प्रावधान जो कि निम्नानुसार उद्धत है : **O. 50** "Every college applying for affiliation shall, alongwith its application will remit the requisite affiliation fee as prescribed by Academic Council for time to time. A college applying for affiliation for one or more courses of study or in additional subject or for permanent affiliation shall remit along with the application, the fees three times of the fees as prescribed by the Board of Management." उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में शैक्षणिक अनुभाग की टिप्पणी की क्या उपरोक्त प्रावधान का यह आशय लिया जाये कि प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा नवीन सम्बद्धता हेतु प्रथम बार विद्या परिषद द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क जमा कराया जायेगा एवं पश्चात्वर्ती वर्षों में एक या अधिक पाठ्यक्रमों में अथवा अतिरिक्त विषयों में सम्बद्धता अथवा स्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन करने पर निर्धारित सम्बद्धता शुल्क का तीन गुना सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा । उक्त अध्यादेश में यह भी उल्लिखित किया गया है कि प्रत्येक स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार शुल्क सम्बद्धता वृद्धि हेतु भी जमा कराया जायेगा । अतः क्या इसका आशय यह है कि प्रत्येक महाविद्यालय नवीन सम्बद्धता के समय जमा कराये गये निर्धारित सम्बद्धता शुल्क के बराबर शुल्क सम्बद्धता वृद्धि हेतु भी जमा करायेगा । किन्तु पश्चात्वर्ती वर्षों में एक या अधिक पाठ्यक्रमों, अतिरिक्त विषयों में ली गई सम्बद्धता हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क का तीन गुना सम्बद्धता		**शैक्षणिक–II**

	शुल्क सम्बद्धता वृद्धि हेतु जमा करायेगा । शैक्षणिक अनुभाग की उक्त टिप्पणी के क्रम में तत्कालीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार जिस समिति द्वारा उक्त अध्यादेश का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है के द्वारा दिनांक 29 जून, 2007 को आयोजित बैठक में प्रस्तावित निर्वचन जो कि परिशिष्ठ-। पर संलग्न है, को निरीक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 25 मई, 2010 में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। निरीक्षण बोर्ड द्वारा उक्त प्रकरण को विद्या परिषद में विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया। निरीक्षण बोर्ड के कार्यवृत को माननीय कुलपति महोदय द्वारा निरीक्षण बोर्ड की पत्रावली पर अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। अतः प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।		
निर्णय	**अध्यादेश 50 के वर्तमान प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित करने और सत्र 2015-16 से प्रभावशील करने की अनुशंषा कीः-** **<u>O. 50</u>** **" Every college applying for affiliation for one or more courses of study or in additional subject or for permanent affiliation shall, alongwith it's application remit the requisite fee as decided by the Academic Council for time to time."**		
मद सं. 6	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प 18 (2) शिक्षा-4/2014 दिनांक 17.06.14 में संलग्न राजभवन का पत्र क्रमांक एफ 1 (ए) (1) आर.बी./2013/10497 दिनांक 20.12.2013 के अनुसार बाल अधिकार शिक्षा एवं अध्ययन के प्रोत्साहन में शैक्षणिक संस्थाओं के प्रोत्साहन हेतु आयोग के पत्र के संबंध में विचार करना । **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-5)**		**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**समस्त संकायाध्यक्षों एवं अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति के संयोजकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त पत्र की प्रति प्रेषित की जाय ।**		

मद सं. 7	विश्वविद्यालय अध्यादेश 124.11 (iii) के अनुसार शोधग्रंथ जमा कराने हेतु शोध अवधि कम से कम 2 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है । शोधार्थी श्री जगमोहन का पंजीयन 26.05.09 को हुआ । शोध पर्यवेक्षक डॉ. सहदेव शास्त्री का स्थानान्तरण स्नातक महाविद्यालय में दिनांक 01.01. 10 को हो गया जिसके कारण वे शोध पर्यवेक्षण के अपात्र हो गये । इस प्रकार छात्र ने उनके निर्देशन में केवल 7 माह 5 दिन शोध कार्य किया । इसके पश्चात् शोध कार्य लम्बित रहा और शोध पर्यवेक्षक आवंटन की कार्यवाही के बाद दिनांक 17.02.14 को पुनः शोध कार्य प्रारम्भ किया गया । इस प्रकार यदि छात्र का एक वर्ष अवधि विस्तार भी किया जाता है तो पंजीयन की दिनांक से 6 वर्ष 25.05.15 तक छात्र की कुल शोध अवधि 7 माह 5 दिन, 3 माह 9 दिन एवं एक वर्ष अवधि विस्तार के 12 माह इस प्रकार कुल 22 माह 14 दिन होते है । परन्तु अध्यादेश के अनुसार शोध अवधि न्यूनतम 2 वर्ष होना आवश्यक है । उक्त परिस्थिति में शोध अवधि के न्यूनतम 2 वर्ष पूर्ण करने के लिए शोधार्थी को अतिरिक्त समय दिये जाने के लिए प्रकरण विश्वविद्यालय स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 09 अप्रैल, 2014 में प्रस्तुत किये जाने पर समिति ने विद्या परिषद् की आगामी बैठक में रखे जाने की अनुशंषा की जिसका अनुमोदन माननीय कुलपति महोदय द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2014 को किया गया । अतः उक्त प्रकरण पर विचार करना **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-6)** ।		**शोध विभाग**
निर्णय	**पुष्टि की गयी ।**		
मद सं. 8	विद्या परिषद की 26वीं बैठक दिनांक 26 अप्रैल, 1999 के निर्णय सं. 22 में क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर में सत्र 1999-2000 से दो वर्षीय बी0एड0 (सैकेण्डरी) पाठ्यक्रम के संचालन के क्रम में निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः **''शिक्षा पाठ्यक्रम मण्डल की संस्तुतियों पर विचार कर अनुमोदन किया एवं सत्र 1999-2000 से उक्त पाठ्यक्रम प्रायोगिक आधार पर संचालित किये जाने एवं दो वर्ष पश्चात् पाठ्यक्रम के पुनः आंकलन की अनुशंसा की।''** उक्त अनुशंसा के आधार पर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय पत्रांकः 6354 दिनांक 19.05.1999 के द्वारा निम्नानुसार सूचित किया गया थाः **(कार्य सूची का परिशिष्ठ-7)** "regarding introduction of two year B.Ed. (Secondary) Course based on the NCTE curriculum frame work from the academic session 1999-2000. On the recommendation of		**शैक्षणिक-II**

	Academic Council Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to approve the above course on experimental basis subject to its review after two years." **<u>प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है</u>:-** क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर में सत्र 1999-2000 से दो वर्षीय बी.एड. सैकेण्डरी पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। पूर्व में महाविद्यालय में परीक्षा शाखा से प्राप्त सूचनानुसार सत्र 1988 से सत्र 1995 तक बी.एड. एक वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित रहा था। कार्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों की सूचना तैयार करते समय यह जानकारी में आया कि उक्त संस्थान में दो वर्षीय बी.एड. सैकेण्डरी पाठ्यक्रम सत्र 1999-2000 से संचालित है। महाविद्यालय को उक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता एवं जमा करवाये गये सम्बद्धता शुल्क के सम्बन्ध में अनुभाग में उपलब्ध पत्रावली में किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाये जाने पर विश्वविद्यालय पत्रांकः 10952 दिनांक 13.06.2014 एवं स्मरण पत्रांकः 15297 दिनांक 25.07.2014 व 18884 दिनांक 2.09.2014 के द्वारा क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, अजमेर में संचालित दो वर्षीय बी.एड. सैकेण्डरी पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय में जमा करवाये गये सम्बद्धता शुल्क के दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां भिजवाने बाबत् सूचित किया गया था। जिसके क्रम में महाविद्यालय ने अपने पत्रांकः 3073 दिनांक 12.09.2014 के द्वारा सूचित किया है किः 1. महाविद्यालय में सत्र 1965-66 से एक वर्षीय बी.एड. की स्थायी सम्बद्धता राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से पूर्व से ही प्राप्त है। 2. सत्र 1999-2000 से महाविद्यालय द्वारा एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम के स्थान पर दो वर्षीय बी.एड. (माध्यमिक) की सम्बद्धता म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर से पत्रांकः 6354 दिनांक 29.05.1999 से प्राप्त हुई है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय में संचालित दो वर्षीय बी.एड. (सैकण्डरी) पाठ्यक्रम के सत्र 1999-2000 से सत्र 2014-2015 तक संचालन के सम्बन्ध में उक्त पाठ्यक्रम का सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कराये जाने एवं तद्नुसार दो वर्षीय बी.एड. (सैकेण्डरी) पाठ्यक्रम की सम्बद्धता के सम्बन्ध में प्रकरण विद्या परिषद की बैठक में पुनःविचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।		
निर्णय	**महाविद्यालय को सत्र 1965-66 से एक वर्षीय बी.एड. की स्थाई सम्बद्धता**		

	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से प्राप्त थी तथा सत्र 1999-2000 से एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम की अवधि को एक ओर वर्ष बढ़ाकर दो वर्षीय बी.एड. (माध्यमिक) का पाठ्यक्रम किया गया है । अतः उक्त पाठ्यक्रम हेतु अतिरिक्त संबद्धता शुल्क नहीं लिये जाने की संस्तुति की गयी ।		
मद सं. 9	शिक्षा पाठ्यक्रम समिति की दिनांक 26.11.14 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ- 12)**		**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**अनुमोदित किया गया ।**		
मद सं. 10	महामहिम राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से प्राप्त निम्नांकित मार्गदर्शन को विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है:- **"छात्रों में रोजगारपरक कौशल के विकास हेतु पाठ्यक्रमों का पुनर्विलोकन एक निरन्तर प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए । इस हेतु संबंधित विषय के विशेषज्ञों की कार्यशाला आयोजित की जाकर पाठ्यक्रमों को आवश्यकतानुरूप संशोधित किया जाना चाहिए ।"**		**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**समस्त संकायाध्यक्षों एवं संयोजक, अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समिति को महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से प्राप्त मार्गदर्शन की प्रति प्रेषित किया जाय तथा इस हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करने हेतु प्रो. मनोज कुमार को अधिकृत किया गया ।**		
मद सं. 11	प्राचार्य, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ ने पत्र क्रमांक श्री रकपारामकि/अकादमिक/ 2014/2266 दिनांक 27.09.14 प्रेषित कर अनुरोध किया है कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर सहित कई विश्वविद्यालयों ने प्रायोगिक परीक्षाएं लगभग पांच वर्ष पूर्व समाप्त कर दी व सैद्धान्तिक परीक्षाओं को पूर्णतः ऑब्जेक्टिव टाईप कर दिया । प्रायोगिक परीक्षाएं समाप्त होने व इस पाठ्यक्रम को सीनियर सैकण्डरी में पढ़ लेने के कारण विद्यार्थी के लिये अलाभकारी अनुपयोगी व औचित्यहीन है । अतः महाविद्यालय के उक्त पत्र के क्रम में प्रथम वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम से प्रारम्भिक कम्प्यूटर विषय को हटाये जाने पर विचार करना । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ 13)**		**शैक्षणिक-I**

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>सत्र 2015–16 से प्रथम वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम से प्रारम्भिक कम्प्यूटर विषय को हटाये जाने का निर्णय लिया गया । अध्ययन बोर्डो एवं पाठ्यक्रम समितियों के माध्यम से इसे लागू कराये जाने का निर्णय किया गया ।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं. 12</td><td>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक D.O. No. F.5-1/2014(CPP-II) दिनांक 11 जुलाई 2014 के क्रम में डीन पी.जी. स्टडीज द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के संबंध में दिये गये प्रस्ताव पर विचार करना:–
(A)
<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Name of Course</th><th>Existing Duration</th><th>Proposed Duration</th></tr>
<tr><td>1</td><td>M. Phil</td><td>One Year</td><td>1 ½ Year</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Bachelor of Naturopathy and Yogic Science (BNYS)</td><td>Three Years</td><td>Five Years</td></tr>
</table>
(B) Master of Journalism and Mass Communication has been restructured as M.A. Journalism and Mass Communication (Two Years)

(कार्यसूची का परिशिष्ठ–14)</td><td></td><td>शैक्षणिक–I</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>उक्त मद के संबंध में सत्र 2015–16 से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. A(1) -एम.फिल. पाठ्यक्रम को एक वर्ष के स्थान पर डेढ़ वर्ष का किया जाय ।

2. A(2) - Bachelor of Naturopathy and Yogic Science (BNYS) पाठ्यक्रम के स्थान पर B.Sc. Naturopathy and Yogic Science (तीन वर्षीय) किया जाय । तद्नुसार अध्यादेश 24 में क्रमांक 1 पर संशोधन करते हुए उपाधि का नाम B.Sc.Naturopathy and Yogic Science (B.Sc. Nat. & Yogic Science) किया जाय ।

B- Master of Journalism and Mass Communication पाठ्यक्रम को M.A. Journalism and Mass Communication (Two Years) किया जाय । उक्त पाठ्यक्रम हेतु संकाय Journalism and Mass Communication यथावत रहेगा । तद्नुसार विश्वविद्यालय अध्यादेश 24–A में Degrees शीर्षक में क्रमांक 2 पर उपाधि का नाम M.A. Journalism and Mass Communication संशोधित किया जाय ।</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं. 13</td><td>Eligibility for Admission in MCA (Lateral Entry) Course regulation 17 के संबंध में विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस के प्रस्ताव पर विचार करना ।

<table>
<tr><th>S.No</th><th>Name of Course</th><th>Existing</th><th>Proposed</th></tr>
<tr><td>1</td><td>M.C.A. (Lateral Entry) regulation 17 (i)</td><td>Eligibility for MCA-Lateral Entry : M.Sc. Computer Science/M.Sc. Computer Science - LE / M.Sc. Information Technology from the M.D.S. University, Ajmer</td><td>Eligibility of M.C.A. Lateral Entry :- M.Sc. (Computer Science) or M.Sc. (Information Technology) of any recognized University</td></tr>
</table></td><td></td><td>शैक्षणिक–I</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने की संस्तुति की गयी ।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं. 14</td><td>स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य तथा स्नातकोत्तर कोर्सो के लिए प्रश्न–पत्र योजना एवं अंक विभाजन के संबंध में परीक्षा नियंत्रक के प्रस्ताव दिनांक 21.08.14 को सत्र 2015–16 से लागू करने पर विचार करना । (कार्यसूची का परिशिष्ठ–15)</td><td></td><td>शैक्षणिक–I</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>उक्त प्रश्न–पत्र योजना एवं अंक विभाजन के प्रस्ताव को सत्र 2015–16 से स्वीकार किया गया तथा समस्त अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों के माध्यम से इसे लागू करवाये जाने का निर्णय लिया गया ।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं. 15</td><td>श्री सुरेश बबलानी, प्रेम प्रकाश कुंज, ए–239, पंचशील नगर, अजमेर के माननीय कुलपति महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 26.11.2014 पर विचार करना । (कार्यसूची का परिशिष्ठ–16)</td><td></td><td>शोध विभाग</td></tr>
<tr><td>निर्णय</td><td>निर्णय किया कि प्रार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य की मौलिकता की जांच कराई जावें । कुलपति महोदय संबंधित विषय के दो अथवा तीन विशेषज्ञों से गोपनीय रूप से जांच का कार्य सम्पादित करावें । प्रार्थी को सूचित किया जावे कि वह अपना शोध कार्य इस प्रयोजन हेतु निदेशक (शोध) को उपलब्ध करावें । विशेषज्ञों द्वारा यदि शोध कार्य मौलिक पाया जाता है तो निम्नांकित कार्यवाही की जाए :

1. विशेषज्ञों के प्रतिवेदन के साथ वह शोधकार्य प्रार्थी को लौटा दिया जावे और प्रार्थी का निरस्त किया गया पंजीयन बहाल कर दिया</td><td></td><td></td></tr>
</table>

	जावे । **2. प्रार्थी को सूचित किया जावे कि वह उसके शोध प्रबन्ध में शोध पर्यवेक्षक के प्रमाण-पत्र के स्थान पर विशेषज्ञों के प्रतिवेदन की प्रति लगाकर प्रक्रियानुसार अपना शोध प्रबन्ध मय निर्धारित शुल्क एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के विश्वविद्यालय में जमा करावें ।** **3. शोध प्रबन्ध के मूल्यांकन हेतु उन्हीं विशेषज्ञों से ही परीक्षकों का पैनल प्राप्त किया जावे और उस पैनल के आधार पर नियमानुसार शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन आदि की प्रक्रिया सम्पन्न की जावे ।** **4. शोध कार्य मौलिक पाये जाने के कारण शोध पर्यवेक्षक को उसके द्वारा जानबूझकर शोधार्थी का अहित करने और शोध पर्यवेक्षक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन संदिग्धनिष्ठापूर्वक किये जाने के कारण उसे सदैव के लिए डिबार कर दिया जावे ।** **5. यदि संबंधित शोध पर्यवेक्षक के निर्देशन में शोध कार्य कर रहे अन्य अभ्यर्थियों का प्रकरण भी इसी प्रकार का हो तो उसके संबंध में भी उक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जावे ।**		
मद सं. 16	विद्या परिषद् के निर्णय संख्या दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 की अनुपालना में विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने के लिए जिन विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर एवं डीन-पी.जी. स्टडीज को निवेदन किया गया था उसके आधार पर केवल निम्नांकित विषयों के विशेषज्ञों के पैनल प्राप्य थेः- 1. प्राणीशास्त्र 2. राजनीति शास्त्र 3. प्रबन्ध अध्ययन 4. खाद्य विज्ञान एवं पोषण शेष विषयों में संकायाध्यक्ष नियुक्त नहीं होने के कारण विषय विशेषज्ञों के पैनल प्राप्त होना संभव नहीं था । अतः मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति महोदय को इन विषयों के विशेषज्ञों के पैनल देने हेतु निवेदन किया गया । प्राप्त पैनल की संवीक्षा, माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार, विज्ञान संकाय के विषयों के पैनल संकायाध्यक्ष-विज्ञान से तथा समाज विज्ञान संकाय के विषयों के पैनल संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान से करायी गयी । संवीक्षा उपरान्त अनुशंसित पैनल पर तथा संलग्न सूची अनुसार विशेषज्ञों के पैनल पर राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षकों एवं अधिकारियों नियुक्ति हेतु चयन अधिनियम 1974 की प्रथम अनुसूची के स्पष्टीकरण II के प्रावधानान्तर्गत विचार कर अनुशंसा करना **(विशेषज्ञों के पैनल पटल पर प्रस्तुत होंगे)**		**संस्थापन**

निर्णय

विद्या परिषद् ने निम्नांकित विषयों के विशेषज्ञों के पैनल अनुशंषित किये और निर्णय किया कि अनुशंषित पैनल को विद्या परिषद् की कार्यवाही विवरण का परिशिष्ठ न बनाया जाये । विषय विशेषज्ञों के पैनल संस्थापन अनुभाग में संधारित रहेंगे (उक्त मद पर चर्चा से पूर्व प्रो. एस.एन.सिंह एवं डॉ. प्रवीण माथुर बैठक कक्ष से बाहर चले गये) :

क्र.सं.	संकाय	विषय
1	**विज्ञान संकाय**	प्राणीशास्त्र
2		रसायन विज्ञान
3		खाद्य विज्ञान एवं पोषण
4		सूक्ष्मजीव विज्ञान
5		वनस्पति विज्ञान
6		पर्यावरण अध्ययन
7		गणित
8		भौतिक विज्ञान
9		कम्प्यूटर साईंस
10	**समाज विज्ञान संकाय**	इतिहास
11		राजनीति शास्त्र
12		अर्थशास्त्र
13		लोक प्रशासन
14		भूगोल
15	**वाणिज्य संकाय**	वाणिज्य
16		लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी
17		व्यावसायिक प्रशासन
18		आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्धन
19	**प्रबन्ध अध्ययन संकाय**	प्रबन्ध अध्ययन
20		पर्यटन प्रबन्ध
21	**शिक्षा संकाय**	शिक्षा

विषय विशेषज्ञ के पैनल की पुष्टि उपरान्त उक्त पैनल को विद्या परिषद् की कार्यवाही विवरण का परिशिष्ठ न बनाया जावे इस पर प्रोफेसर सर्वेश्वर पालरिया ने विमति दर्ज की ।

मद सं. 17

माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 08.11.2012 की अनुपालना में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के सम्बद्धता संबंधी नियमों के सरलीकरण एवं सम्बद्धता संबंधी नियमों की एक नियमावली तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 12.12.14 को आयोजित की गई । उक्त समिति द्वारा सम्बद्धता संबंधी नियमों के सरलीकरण एवं सम्बद्धता संबंधी नियमों की एक नियमावली हेतु अध्यादेश 70-ए का प्रारूप एवं अध्यादेश 50 के तहत प्रस्तावित सम्बद्धता शुल्क तैयार किया गया

शैक्षणिक-II

	जिसको माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है । अतः अध्यादेश 70-ए का प्रारूप एवं अध्यादेश 50 के तहत प्रस्तावित सम्बद्धता शुल्क विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।		
निर्णय	**विद्या परिषद् ने प्रस्तावित नये अध्यादेश 70-ए को इस संस्तुति के साथ स्वीकार करने की अनुशंषा की कि संबंधित प्रावधान प्रबन्ध बोर्ड में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व निम्नांकित सदस्यों की एक समिति इस दृष्टि से इन प्रावधानों की समीक्षा कर लें कि प्रस्तावित प्रावधानों के कारण पूर्व में प्रभावी किसी अध्यादेश में संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है यदि आवश्यकता अनुभव होती है तो तद्नुसार यह संशोधन का प्रस्ताव अपने प्रतिवेदन के साथ कुलपति को प्रस्तुत करें:-** **1. प्रो. जी.के. कोहली - संयोजक** **2. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर - सदस्य** **3. प्रो. बी.पी. सारस्वत, - सदस्य** **उक्त समिति प्रबन्ध बोर्ड की आयोजित होने वाली बैठक दिनांक 23.12.2014 से पूर्व अपनी संस्तुति माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी ।**		
मद सं. 18	केन्द्रीय विश्वविद्यालय और अन्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की भांति आन्तरिक गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के शिक्षकों की विश्वविद्यालय में 25 वर्षो की सेवा पूर्ण करने पर अथवा सेवानिवृत्ति जो भी पहले होने पर, उनके द्वारा ज्ञान संग्रहण और अर्जन (Contribution to Knowledge) का स्वमूल्यांकन किया जाएगा । जिसमें शिक्षक अपने प्रकाशन और शोध का विवरण प्रस्तुत करेंगे । प्रदर्शनी लगायेंगे, शिक्षक के द्वारा शिक्षा हेतु दिए गए योगदान के प्रस्तुतिकरण हेतु सेमिनार का आयोजन किया जायेगा । शिक्षक अपने सभी प्रकाशित रचनाओं की एक कॉपी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय हेतु देंगे । शिक्षक अपनी सभी रचनाओं को विश्वविद्यालय के वैबसाईट पर डालने के लिए सॉफ्ट कॉपी भी प्रस्तुत करेंगे । इसके आयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा वित्तिय सहयोग प्रदान किया जायेगा । कार्यक्रम आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी ।		**डीन पी.जी. स्टडीज**
निर्णय	**जिन शिक्षकों ने 25 वर्षो का शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर लिया है उनके शोध विवरण का प्रस्तुतिकरण एवं सम्मानित करने के लिए समारोह का**		

	आयोजन किये जाने हेतु डीन पी.जी. स्टडीज को अधिकृत किया गया ।		

कुलपति कुलसचिव